

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए पावर खरीद की

जमा लागत के निर्धारण के लिए

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

के समक्ष

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

जोधपुर

द्वारा दायर याचिका

जनवरी–2017

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, जयपुर

के समक्ष प्रस्तुत याचिका

फाइलिंग सं.....

प्रकरण सं.....

के मामले में,

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय उर्जा प्रमाणपत्र और अक्षय क्रय बाध्यता अनुपालना ढॉचा) विनियम, 2010 के अनुसार वलतीय वर्ष 2015–16 के अंकक्षित लेखो के आधार पर वलतीय वर्ष 2016–2017 के लिए बिजली खरीद की जमा लागत के निर्धारण के लिए याचिका

याचिकाकर्ता सम्मानपूर्वक इस मामले में अपनी याचिका निम्नानुसार प्रस्तुत करता है:

विषय वस्तु की सारणी

1. परिभाषाएं.....	4
2. प्रस्तावना.....	5
3. जमा लागत.....	6
4. जोविविनिलि के लिए विव 2016–17 की विद्युत क्रय की जमा लागत का निर्धारण.....	7
5. प्रार्थना.....	10

परिभाषाएं—

1. वितरण अनुज्ञप्तिधारी: का अभिप्राय अधिनियम में यथापरिभाषित, अपने आपूर्ति के क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युतापूर्ति हेतु वितरण तन्त्र परिचालित व संधारित करने के लिए प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी से है।
2. न्यूनतम मूल्य: केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अपने (अक्षय उर्जा उत्पादन हेतु अक्षय उर्जा प्रमाण-पत्र को मान्यता देने व जारी करने के निबन्धन व शर्तों) विनियम, 2010 के अनुसार यथाविनिर्धारित न्यूनतम मूल्य, जिस पर या जिससे उपर विद्युत विनियम में प्रमाण-पत्र का व्यापार किया जा सकता है।
3. परिहार मूल्य: केन्द्रीय आयोग द्वारा यथाविनिर्धारित उच्चतम मूल्य।
4. उर्जा क्रय की पूलित (जमा) लागत: वह भारित औसत मूल्य जिस पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने पिछले वर्ष में अपने उत्पादन की लागत, यदि कोई है, सहित, अल्पावधि विद्युत क्रय तथा वे जो अक्षय उर्जा पर आधारित है, को छोड़कर सभी विद्युत आपूर्तिकारों से विद्युत का क्रय किया।
5. अधिमानता टैरिफ: अक्षय उर्जा स्रोतों पर आधारित किसी उत्पादन केन्द्र से किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत के विक्रय हेतु आयोग द्वारा निर्धारित/अनुमोदित टैरिफ।
6. अक्षय उर्जा स्रोत: में गैर-पारम्परिक अक्षय उत्पादन स्रोत जैसे छोटा एवं सूक्ष्म-जलीय, पवन, संयुक्त चक्र (कम्बाइड साइकल) का एकीकरण सौर तथा सौर अवयव सहित, बाँयोमास, बाँयो-ईंधन, सह-उत्पादन, शहरी या नगरपालिका अपशिष्ट एवं अन्य इसी प्रकार के नवीन अक्षय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित स्रोत (25 मेगा वॉट क्षमता से नीचे के आणविक एवं जलीय ऊर्जा स्टेशन को छोड़कर)

प्रस्तावना

1. राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 61, 66, 86(1)(e) तथा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राविविआ (अक्षय उर्जा प्रमाण-पत्र तथा अक्षय क्रय बाध्यता अनुपालना ढांचा), विनियम, 2010 जारी किये है।
2. राविविआ (अक्षय उर्जा प्रमाण-पत्र तथा अक्षय क्रय बाध्यता अनुपालना ढांचा), विनियम, 2010 तथा राविविआ (वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए विद्युत क्रय तथा अधिप्राप्ति विधि) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2014 के अनुसार मानित अनुज्ञप्तिधारी सहित वितरण अनुज्ञप्तिधारी अक्षय उर्जा स्रोतों से निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार विद्युत की अधिप्राप्ति करेगा:-

तालिका 1:- अक्षय उर्जा बाध्यता, उर्जा खपत के प्रतिशत में अभिव्यक्त (%)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	पवन	बॉयोमास	सोलर	कुल *
1.	2014-15	6.8	0.70	1.50	9.00
2.	2015-16	7.3	0.90	2.00	10.20
3.	2016-17	7.8	1.10	2.50	11.40

टिप्पणी *: राविविआ (वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए विद्युत क्रय तथा अधिप्राप्ति विधि) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2014 दिनांक 20 फरवरी 2014 के अनुसार !

3. राविविआ (अक्षय उर्जा प्रमाण-पत्र तथा अक्षय क्रय बाध्यता अनुपालना ढांचा), विनियम, 2010 के अनुसार विद्युत अवयव की प्रभावी कीमत, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के परिचालन काल के लिए, विद्युत क्रय की पूलित लागत, जो कि वह भारित औसत मूल्य जिस पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने पिछले वर्ष में अपने उत्पादन की लागत, यदि कोई है, सहित, अल्पावधि विद्युत क्रय तथा वे जो अक्षय उर्जा पर आधारित है, को छोड़कर सभी विद्युत आपूर्तिकारों से विद्युत का क्रय किया, के बराबर होगी।
4. विव 2016-17 के लिए विद्युत क्रय की पूलित लागत के विनिर्धारण हेतु जोविविनिलि आयोग को विद्युत क्रय की पूलित लागत, विव 2015-16 के अंकेक्षित लेखों के आधार पर, के परिकलन हेतु याचिका प्रस्तुत कर रहा है।

पूलित (जमा) लागत:

1. राविविआ (अक्षय उर्जा प्रमाण-पत्र तथा अक्षय क्रय बाध्यता अनुपालना ढांचा), विनियम, 2010 के बन्ध 11, विद्यमान अक्षय उर्जा परियोजनाओं के टैरिफ मूल्य, टैरिफ संरचना तथा अन्य शर्तों के अनुसार विद्यमान अक्षय उर्जा परियोजनायें, जिनके लिए अक्षय ऊर्जा हेतु विद्युत क्रय अनुबंध पहले से ही किये जा चुके हैं, विद्यमान वि.क्र.अ. (विद्युत क्रय अनुबंध) की अवधि की समाप्ति के बाद, अक्षय ऊर्जा प्रमाण-पत्र (अऊप्र) योजना में शामिल हो सकती है।
2. लेकिन शर्त यह है कि ऐसी उत्पादन कम्पनी जिसने अक्षय ऊर्जा के अधिमानता टैरिफ पर विक्रय क्रय अनुबंध कर रखा है, अनुबंध की पूर्व परिपक्व समाप्ति की दशा में अक्षय ऊर्जा प्रमाण-पत्र योजना में, ऐसे अनुबंध की समाप्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा वि.क्र.अ. की समाप्ति की नियत तिथि, जो भी पहले हो, तक शामिल किये जाने के लिए पात्र नहीं होगी।
3. राविविआ (अक्षय ऊर्जा प्रमाण-पत्र तथा अक्षय क्रय बाध्यता अनुपालना ढांचा) विनियम, 2010 के लागू होने के पश्चात् बहुवर्षीय नियन्त्रणावधि के दौरान चालू होने वाली नई अक्षय ऊर्जा परियोजनायें तथा जिन्होंने उपरोक्त विनियम के जारी होने के पूर्व अक्षय ऊर्जा क्रय विद्युत क्रय अनुबंध नहीं किये हैं, के पास या तो राविविआ (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 की टैरिफ संरचना तथा उसमें अनुबद्ध अन्य शर्तों को अनुज्ञप्तिधारी के अनुबंध के अध्यक्षीन अपनाने या अऊप्र क्रियाविधि की कीमत निर्धारण को अपनाने का विकल्प होगा।
4. अगर अक्षय उर्जा प्रबंधन क्रियाविधि निरस्त/खत्म होती है या अक्षय उर्जा उत्पादक स्वयं ही अक्षय उर्जा प्रबंधन क्रियाविधि से बाहर जाता है तो अक्षय उर्जा उत्पादक अधिमानता टैरिफ क्रियाविधि को अपना सकता है बशर्ते की अनुज्ञप्तिधारी के अक्षय उर्जा बाध्यता के लक्ष्य में समायोजन की गुंजाइश हो, उस टैरिफ पर जो कि आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी तथा/या अक्षय उर्जा को परस्पर सहमत टैरिफ पर अन्य बाध्यक संस्था को बेच सकता है।

जोविविनिलि के लिए विव 2016-17 की विद्युत क्रय की जमा लागत का निर्धारण

- राविविआ (अक्षय ऊर्जा प्रमाण-पत्र तथा अक्षय क्रय बाध्यता अनुपालना ढांचा) विनियम, 2010, के विशिष्ट अनिवार्य दायित्व के निर्वहन के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए अक्षय ऊर्जा तथा/या अक्षय ऊर्जा प्रमाण-पत्र क्रय करना अवश्य बनाने है।
- वितरण अनुज्ञप्तिधारी अक्षय ऊर्जा तथा/या प्रमाण पत्र, अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र क्रियाविधि के अनुसार निम्नवत् क्रय कर सकता है:-
 - विद्युत अवयव की प्रभावी कीमत विद्युत क्रय की पूलित लागत के समान होगी।
 - प्रमाण पत्र, विद्युत विनियम में अन्वेषित मूल्य पर क्रय किये जा सकते है।
- विव 2016-17 के लिए पूलित लागत के विनिर्धारण के प्रयोजनार्थ, जोविविनिलि ने विव 2015-16 के अंकेक्षित लेखो के आधार पर विद्युत क्रय लागत तथा मात्रा को ध्यान में रखा है।
- इसके अतिरिक्त विद्युत क्रय की पूलित लागत का विनिर्धारण करते समय जोविविनिलि ने अल्पावधि विद्युत क्रय तथा अक्षय ऊर्जा को छोडकर, 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले नाभियकीय विद्युत केन्द्रों, जलीय विद्युत केन्द्रों तथा एनवीवीएन से क्रय की गई बन्डलड पावर के तापीय अवयव को ध्यान में रखा है।
- विव 2015-16 की विद्युत क्रय की लागत तथा मात्रा के आधार पर विव 2016-17 के लिए पूलित लागत **3.4332 रूपये** प्रति यूनिट आती है। विव 2015-16 के लिए विद्युत क्रय का विवरण अनुलग्नक 1 में संलग्न है।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 की पूलित लागत का विस्तृत परिकलन निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	स्रोत स्टेशन वार	विद्युत क्रय (दस लाख कि.वा.घ)	विद्युत क्रय लागत (रु. करोड में)			दर (रु. /यूनि ट)	भारित औसत कीमत (रु.कि.वा. घ.)
			स्थाई प्रभार	विद्युत प्रभार	योग		
क	एनटीपीसी						
1	अन्ता जीटीपीएस	53.6126	12.8523	19.0480	31.9003	5.9502	0.0154
2	औरइया जीटीपीएस	36.9548	7.4542	14.7186	22.1728	6.0000	0.0107
3	दादरी जीटीपीएस	69.1716	9.5218	24.8193	34.3411	4.9646	0.0166
4	एफजीयूटीपीएस-I	18.1956	2.8891	4.9250	7.8141	4.2945	0.0038
5	एफजीयूटीपीएस-II	44.4584	5.7050	11.9805	17.6854	3.9780	0.0085
6	एफजीयूटीपीएस-III	25.3682	5.6542	7.9601	13.6143	5.3667	0.0066
7	एफएसटीपीएस	14.5934	1.8552	3.9469	5.8021	3.9758	0.0028
8	कहलगाँव एसटीपीएस-I	26.5122	5.0483	6.1438	11.1921	4.2215	0.0054
9	कहलगाँव एसटीपीएस-II	143.6784	27.0704	34.2968	61.3672	4.2711	0.0296
10	रिहन्द एसटीपीएस	162.7783	14.9998	28.1905	43.1904	2.6533	0.0208
11	रिहन्द II	170.6925	18.4049	27.4066	45.8115	2.6839	0.0221
12	रिहन्द III	199.9579	36.1448	33.2534	69.3981	3.4706	0.0335

13	सिंगरोली	715.8358	34.7811	99.0463	133.8274	1.8695	0.0645
14	तलचर एसटीपीएस	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000
15	केएचपीएस - 1	60.2033	17.9037	16.3907	34.2943	5.6964	0.0165
16	एनसीटीपीएस 1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
17	एनसीटीपीएस 2	7.1696	0.6545	2.5394	3.1939	4.4548	
	योग	1749.1827	200.9393	334.6658	535.6051	3.0620	0.2583
	पूर्व अवधि प्रभार	0.0000	13.5972	-7.3526	6.2446		
	योग (समायोजन के साथ)	1749.1827	214.5365	327.3132	541.8496	3.0977	0.2613
ख	एनएचपीसी						
1	तनकपुर हाइड्रो	11.9822	2.4211	1.9313	4.3524	3.6324	0.0021
2	सलाल	32.3267	1.7914	5.3209	7.1123	2.2001	0.0034
3	चमेरा-I	160.3661	11.4701	15.9483	27.4184	1.7097	0.0132
4	चमेरा-II	48.5930	6.7333	6.8035	13.5368	2.7858	0.0065
5	चमेरा-III	36.8868	9.3735	7.8489	17.2225	4.6690	0.0083
6	उरी हाइड्रो	91.4818	7.2651	11.5677	18.8328	2.0586	0.0091
7	उरी हाइड्रो 2	42.5454	11.4605	13.0915	24.5520	5.7708	0.0118
8	धौलीगंगा	33.2352	5.1330	5.8417	10.9747	3.3021	0.0053
9	दलहस्ती	83.3831	22.8684	26.5849	49.4533	5.9309	0.0238
10	पारबती	22.7374	4.3708	6.2610	10.6318	4.6759	0.0051
11	सवा-II	20.2519	4.8615	4.7250	9.5866	4.7337	0.0046
	योग	583.7896	87.7489	105.9247	193.6736	3.3175	0.0934
	पूर्व अवधि प्रभार	0.0000	0.0406	12.0849	12.1256		
	योग (समायोजन के साथ)	583.7896	87.7895	118.0096	205.7991	3.5252	0.0992
ग	नेवेली लिग्नाइट	352.9002	85.5399	43.0053	128.5452	3.6425	0.0620
घ	एसजेविनल-नाथपा- झाकरी	179.5702	27.7920	24.8503	52.6423	2.9316	0.0254
	रामपुर	49.3758	9.4774	7.9948	17.4722	3.5386	0.0084
	योग	228.9460	37.2694	32.8451	70.1145	3.0625	0.0338
	पूर्व अवधि प्रभार	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
	योग (समायोजन के साथ)	228.9460	37.2694	32.8451	70.1145	3.0625	0.0338
ड.	एनपीसीएल						
	एनएपीपी	105.1871	0.0000	26.3710	26.3710	2.5071	0.0127
	पूर्व अवधि प्रभार	0.0000	0.0000	-0.0076	-0.0076		
	योग (समायोजन के साथ)	105.1871	0.0000	26.3634	26.3634	2.5063	0.0127
च	आरएपीपी - I व II	305.3217	0.0000	85.2200	85.2200	2.7912	0.0411
	आरएपीपी - III व IV	350.0125	0.0000	98.0765	98.0765	2.8021	0.0473
	आरएपीपी - (V) व (VI)	221.2965	0.0000	76.5193	76.5193	3.4578	0.0369
	आरएपीपी - (V)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
	योग (आरएपीपी)	876.6307	0.0000	259.8158	259.8158	2.9638	0.1253
	पूर्व अवधि प्रभार	0.0000	0.0000	-0.0409	-0.0409		
	योग (समायोजन के साथ)	876.6307	0.0000	259.7750	259.7750	2.9633	0.1253
छ	राज्य उत्पादन एवं अन्य						
	केटीपीएस (1-7)	2227.9431	151.1072	621.4838	772.5910	3.4677	0.3725

	एसटीपीएस (1-6)	1688.1759	221.9438	612.0606	834.0045	4.9403	0.4021
	डीसीसीपीपी	90.4646	26.2680	29.9023	56.1703	6.2091	0.0271
	सीटीपीपी (1&2)	473.1979	68.7857	93.8962	162.6819	3.4379	0.0784
	सीटीपीपी (4)	424.4430	68.0075	88.6303	156.6379	3.6904	0.0755
	सीटीपीपी (3)	379.6430	73.3036	78.8826	152.1862	4.0087	0.0734
	जीएलटीपीपी 2 पूर्व अवधि प्रभार	0.0000	16.2997	-1.1221	15.1777		
	आरजीटीपी (1&2)	152.8416	4.8552	51.8068	56.6619	3.7072	0.0273
	कटीपीपी#1	1063.1680	233.7053	252.2442	485.9495	4.5708	0.2343
	कटीपीपी#2	784.7517	107.5959	202.5680	310.1638	3.9524	0.1496
	आरजीटीपी (3)	314.1663	46.4452	103.9521	150.3973	4.7872	0.0725
	माही	53.5469	4.9382	4.2995	9.2377	1.7252	0.0045
	जीपीटीपीपी	62.2329	20.6029	8.3353	28.9383	4.6500	0.0140
	राजवेस्ट पावर लि.	2046.8696	465.3948	370.8455	836.2403	4.0855	0.4032
	योग	9761.4444	1509.2532	2517.7851	4027.0383	4.1255	2.0144
ज	कोस्टल गुजरात	802.9187	90.0257	101.1707	191.1964	2.3813	0.0922
झ	कुल साझा परियोजनाएं/अन्य						
1	टेहरी हाइड्रो	77.0418	22.1450	21.5410	43.6860	5.6704	0.0211
2	कोटेश्वर	34.5505	6.4735	6.6487	13.1222	3.7980	0.0063
	योग	111.5923	28.6185	28.1897	56.8082	5.0907	0.0274
	पूर्व अवधि प्रभार	0.0000	0.0000	0.7612	0.7612		
	योग टीएचडीसी (समायोजन के साथ)	111.5923	28.6185	28.9509	57.5694	5.1589	0.0278
	ताला द्वारा पीटीसी (भूटान)	15.4026	0.0000	3.1113	3.1113	2.0200	0.0015
	पूर्व अवधि प्रभार	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
	योग (समायोजन के साथ)	15.4026	0.0000	3.1113	3.1113	2.0200	0.0015
	बीबीएमबी (भारवडा, देहर, पोंग)	820.6235	0.0000	38.1216	38.1216	0.4645	0.0184
	चम्बल/ सतपुरा	276.6288	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	योग	1224.2472	28.6185	70.1839	98.8023	0.8070	0.0476
ञ	एनवीवीएन बन्दलड पाँवर (थरमल)	587.4404	60.8097	113.5659	174.3756	2.9684	0.0872
ट	अरावली पाँवर लि.	2.6272	2.1381	0.0226	2.1607	8.2244	0.0010
ठ	अडॉनी पाँवर राजस्थान	2645.3803	409.2298	526.4903	935.7201	3.5372	0.4512
ड	सासन पाँवर लि.	929.0616	13.6607	139.8652	153.5259	1.6525	0.0740
ढ	करचम वांगटू	141.9073	0.0000	48.2485	48.2485	3.4000	0.0233
	कुल योग	19991.6634	2538.8710	4324.6438	6863.5148	3.4332	3.4332

नोट:—मूल अंग्रेजी याचिका व इसके हिन्दी रूपान्तरण के आंकड़े/भावार्थ में किसी भी स्तर पर विरोध होने पर मूल अंग्रेजी याचिका के आंकड़े/भावार्थ ही अन्तिम निर्णायक समझा जावें।

प्रार्थना:

याचिकाकर्ता सम्मानपूर्वक प्रार्थना करता है:-

1. माननीय आयोग द्वारा इस याचिका को स्वीकार करने के लिए।
2. माननीय आयोग द्वारा विव 2016-17 के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पूलित लागत का विनिर्धारण करने के लिए तथा **रु. 3.4332** प्रति यूनिट की दर से पूलित लागत को अनुमत करने के लिए।
3. किसी भी अनभिप्रेत भूल/त्रुटि/कमियों को माफ करने तथा जोविनिनि लि को इस दायरीकरण में जोडने/परिवर्तन करने/आशोधित करने तथा बदलने तथा आगे की तिथि में यथावश्यक अग्रेतर प्रस्तुतीकरण की अनुमति देने के लिए।
4. प्रकरण के तथ्य तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये माननीय आयोग द्वारा सही तथा उचित समझा जाने वाला अन्य तथा अग्रेतर आदेश पारित किये जाने के लिए।

Annexure-I

FY 2015-16		
As per audited accounts		
Particulars	Units in MU	Rs. Crore
Purchase of energy	22,933.94	9,461.98
Less : Sale of energy through power exchange	131.77	33.50
Net availability before transmission loss	22,802.17	9,428.48
Power Purchase Reconciliation		
Particulars	Power Purchase (MU)	Cost (Rs. Crore)
Total power purchase and cost as furnished by Discom (A)	22,933.94	9,461.98
Less: Transmission Charges		
PGCIL	--	417.16
MARU		12.26
RVPNL		678.37
SLDC		5.46
ARAVALI	--	7.65
NRLDC POSCO	--	0.88
Transmission Charges (B)	--	1,121.79
Less: the following		
Short Term Purchase	811.49	281.56
RE Power	2,073.62	961.79
NVVN Solar	125.66	133.45
Inter Discom	697.73	283.91
UI	(275.22)	(6.03)
RVUN Hydel Stations below 25 MW	2.10	0.79
Banking	(493.09)	(178.80)
Total (C)	2,942.28	1,476.68
Power Purchase considered for Pooled cost =(A)-(B)-(C)	19,991.66	6,863.51
Power purchase (MU)	Total cost (Rs. Crore)	Weighted average price (Rs./kwh)
19,991.66	6,863.51	3.4332